संख्या /2025/XII(1)/E-80327

प्रेषक,

श्याम सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक अक्टूबर,2025**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1754/लेखा/पं0–2/ब0मॉग/ 2025–26 दिनांक 30.09.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम अनुपूरक के अनुदान संख्या–19 लेखाशीर्षक–2515–00–001–04–00 के **मानक मद–27 ''व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान''** में प्रावधानित **रू0 10,00,000/–(रू0 दस लाख मात्र)** की धनराशि संलग्न आवंटन आई0डी0 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत एवं अनुमोदित मदों पर ही आवंटित सीमा तक किया जाय। स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(ii) उक्त आवंटित धनराशि के व्यय हेतु वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–287566, दिनांक 31 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस संबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19, के अन्तर्गत संलग्न आवंटन आई0डी0 में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–329896, दिनांक–12 सितम्बर, 2025 में विहित प्राविधानों/शर्तों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Singh
Date: 16-10-2025
15:42:41

(श्याम सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– (1)/ E-80327/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–4/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
VIMALA DHAPWAL
Date: 16-10-2025
17:34:36

आज्ञा से,

(विमला धपवाल)
अनु सचिव